न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी प्रभात त्रिपाठी)
आर.ए.एस
प्रकरण सं.:– 31 / 2020

1. श्री अजय चौधरी पुत्र श्री जसवीरसिंह जाति जाट निवासी 29 विजयनगर नजदीक के बी. एस–02 झोतवाड़ा जयपुर जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान जिलाधीश अधिकारी महोदय जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान भू–राजस्व प्रवन्धन, महोदय भू–प्रबन्धन कार्यालय अजमेर जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

उपस्थित :– श्री धर्मवीर बामनिया अधिवक्ता प्रार्थी
पैराकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 10.04.2023

वकील पक्षकारान उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा नागोला पटवार हल्का नागोला, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नागोला तहसील भिनाय स्थित खसरा नं. 3388 / 1716 रकबा 3.56 है0 किस्म बारानी–2 प्रार्थी की स्वअर्जित खरीदशुदा आराजीयात है। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी ने स्वयं खरीद की है जिस पर केवल मात्र प्रार्थी ही उक्त आराजीयात के एकमात्र तन्हा मालिक है। प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य उपयोग व उपभोग से लगातार अनवरत निर्विवाद करता चला आ रहा है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के पुराने वर्किंग खसरा नं. 2714, 2715 व 2716 मिन नंबर है जिसका रकबा है जो सही है व सच है। उक्त मीन से खसरा नं. का राजस्व नक्शा ट्रैस में रकबा सही इन्द्राज है। वर्किंग खसरा नं. 2715, 2715 व 2716 मिन रकबा के वर्तमान खसरा नं. 3388 / 1766 रकबा 3.56 है0 किस्म बारानी–2 बनाया गया है जो सही है लेकिन उक्त खसरा नं. का राजस्व नक्शा ट्रैस में रकबा को कम कर दिया गया है जिसे दुरूस्त करवाने हेतु न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व नक्शें में जमाबंदी में दर्ज रकबा अनुसार एवं पूर्व राजस्व नक्शों अनुरूप वर्तमान तरमीम दुरूस्त कराने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया। प्रकरण के सन्दर्भ में नायब तहसीलदार नागोला से जांच रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार नागोला ने पैरोकार सरकार का पक्ष प्रस्तुत करते हुए लिखित कथन प्रस्तुत किए कि वर्तमान जमाबंदी संवत 2072–2075 जमाबंदी (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता सं. 364 खसरा नं. 3388 / 1716 रकबा 3.56 है0 भूमि प्रार्थी के नाम बतौर खातेदार दर्ज है एवं ग्राम नागोला के हाल खसरा नं. 3388 / 1716 राजस्व जमाबंदी अनुसार रकबा 3.56 है0 दर्ज है जबकि वर्तमान नक्शा शीट से खसरा नं. 3388 / 1716 के

10.04.23

क्षेत्रफल की गणना करने पर 2.49 है0 रकबा आता है। खसरा नं. 1716 सिवायचक रकबा 0.49 है0 जमाबंदी अनुसार दर्ज है जो हाल नक्शे में क्षेत्रफल की गणना करने पर भी 0.49 है0 आता है एवं खसरा नं. 1724 सिवायचक रकबा 0.10 है0 जमाबंदी अनुसार दर्ज है जिसका नक्शे में माप करने पर 0.87 है0 आता है अर्थात् खसरा नं. 1724 का मौका व नक्शानुसार कुल रकबा 0.87 है0 है। साथ ही सलंग्न मौका पर्चा अनुसार अतिरिक्त तरमीम भूमि खसरा नं. 1724 में वन विभाग द्वारा पौधारोपण किया जाना बताया गया है।

प्रार्थी अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार को पत्रावली के सन्दर्भ में सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने गत नक्शाअनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित कथन दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया । साथ ही वन विभाग द्वारा पौधारोपण कार्य की समुचित देखभाल करने का शपथ पत्र वन विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके पश्चात् वन विभाग द्वारा समस्त पौधों को प्रार्थी के सुपुर्द कर दिया गया। सुपुर्दगीनामा एवं शपथपत्र पत्रावली पर उपलब्ध है। पैरोकार सरकार ने संलग्न रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत आराजीयात का राजस्व नक्शा वर्तमान में दुरूस्त योग्य होना पाया है एवं उक्त दुरूस्ती के परिणामस्वरूप कोई राजकीय हित भी प्रभावित होना प्रतीत नहीं होता है। वन विभाग द्वारा पारित सुपुर्दगीनामा पश्चात् विभाग की अनापत्ति की कोई आवश्यकता नहीं रह जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आनुतोष योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट नायब तहसीलदार नागोला, मौका पर्चा ग्राम नागोला, वन विभाग द्वारा पारित सुपुर्दगीनामा, प्रश्नगत आराजीयात का गत राजस्व नक्शा, वर्तमान राजस्व नक्शा आदि के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत आराजीयात खसरा नं. 3388/1716 में लगावा खसरा नं. 1724 रकबा 0.10 है0 में से राजस्व नक्शा अनुसार अतिरिक्त भूमि रकबा 0.77 है0 की तरमीम सुधार कर खसरा नं. 3388/1716 में बढोतरी कर नवीन तरमीम करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं खसरा नं. 1724 रकबा 0.10 है0 (जमाबंदी अनुसार) यथावत रखा जावें। तहसीलदार भिनाय को आदेशित किया जाता है कि निर्णय अनुसार पालना की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की जाकर पालना से अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

10.04.23

(भरत राज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी)